125

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11(25)/(12)(13)(14)/ओबीसी/सान्याअवि/12/56236 जयपुर दिनांक 12/06/18

परिपत्र

विषय– पुजारी सेवक के व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पुजारी सेवक जाति वर्ग के व्यक्तियों को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित होने के उपरान्त भी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने मे कठिनाईया उत्पन्न हो रही है ।

इस संबध में तथ्य यह है कि पुजारी सेवक जाति को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अभिशंषा के आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 69435 दिनांक 18.09.2013 द्वारा राज्य की अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सर्वे /अध्ययन कर अभिशंषा रिपोर्ट में पुजारी सेवक जाति के संबध में स्पष्ट किया है कि पुजारी सेवक जाति के लोग मंदिर में सेवा–पूजा, सफाई एवं रख–रखाव का कार्य करते है। पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों के तुच्छ कार्य जैसे जन्म मरण व शादियों मे न्योता देने, पानी पिलाने व हलकारे आदि का कार्य भी करते है एवं जाति वर्ग के लोग आटा, दाल, अन्न आदि भी उपासकों से मांग कर जीविका चलाते है इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ब्राह्मण वर्ग से हेय है।

अतः अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक बीसी 12025/2/76 एससीटीआई दिनांक 22 मार्च 1977 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबधित दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 एवं 20.10.2015 के अनुसरण में जाति की पुष्टि करनी चाहिये।

तथा आवेदक की जाति की पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदक की स्थानीय स्तर की पूछताछ की जा सकती है एवं पूछताछ को लेखन बद्ध किया जाना चाहिये। इस प्रकार आवश्यक्ता होने पर आवेदक की जाति की सम्पूर्ण सामाजिक जॉच (Social investigation) होनी चाहिये । जाति के आवेदन पत्रों मे प्रमाण हेतु जो भी दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनकी सत्यता की पूर्ण जाच–पड़ताल होना आवश्यक है तथा इनको भी सबूत के तौर पर अभिलेख में लिया जावे।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक को जारी किया जाने वाला पुजारी रोवक का जाति प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों, अभिलेखो, कथनों एवं रिकार्ड के आधार पर सही है तो आवेदक

120

द्वारा दावा की गयी पुजारी सेवक का जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

समस्त तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को स्वंय ज्ञात पूर्ण संतुष्टि के पश्चात (After having complete satisfacation) ही जाति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिये।

अतः जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पुजारी सेवक जाति के व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी कराऐ।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव

क्रमांकः—एफ 11(25)/(12)(13)(14)/ओबीसी/सान्याअवि/12/46237-338 जयपुर दिनांक 12/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
2) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
3) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
4) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
5) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
6) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
7) समस्त संभागीय आयुक्त...
8) समस्त जिला कलक्टर...
9) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग...........................
10) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबधित को ई—मेल कराने हेतु
11) गार्ड फाईल।

(डॉ.समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव